

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या 94/2023

उनवान

1. देबी लाल पुत्र मेघा खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति दूदी पत्नी मगना लाल खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्री देबी लाल पुत्र मोहन खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री देबी लाल पुत्र मगना खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री श्याम लाल पुत्र मगना खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति रामेश्वर देवी पत्नी श्याम लाल खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. श्रीमति शान्ति देवी पत्नी प्यारा खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. श्री शंकर लाल पुत्र घिसू खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. श्री श्याम लाल पुत्र घिसू खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. श्री सत्यनारायण पुत्र घिसू खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. श्री घिसू लाल पुत्र मेघा खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
11. श्री बदाम पत्नी शंकर लाल खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
12. श्री हेमा पुत्र कजोड खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
13. श्रीमती प्यारी पत्नी मोहन लाल खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
14. श्री बालू पुत्र चुना खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
15. श्रीमति कानी पत्नी चुना खटीक नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 04.07.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 21.06.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप भू०अ०नि० क्षेत्र मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 332 की आ.न. 2916 रकबा 0.1897है०, आ.न. 2918 रकबा 0.2782है०, कुल किता 02 रकबा 0.4679है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.06.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 15 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

-:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप भू0अ0नि0 क्षेत्र मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 332 की आ.न. 2916 रकबा 0.1897है0, आ.न. 2918 रकबा 0.2782है0, कुल किता 02 रकबा 0.4679है0, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 04.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

